कक्षा - 12

भारतीय इतिहास के कुछ विषय

अध्याय - 12

संविधान का निर्माण

भाग - 2

प्रीतेश जोशी



Under CSR Support by ipca | Foundation

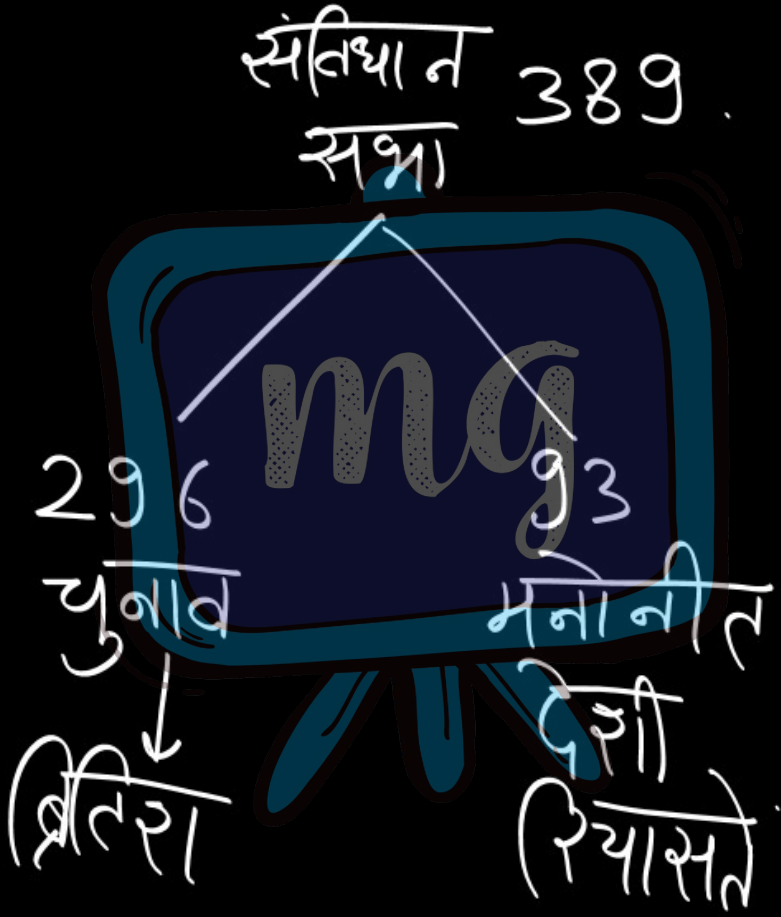
missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

1946 कैबिनेट → संविधान सभा



Under CSR Support by
ipca | Foundation

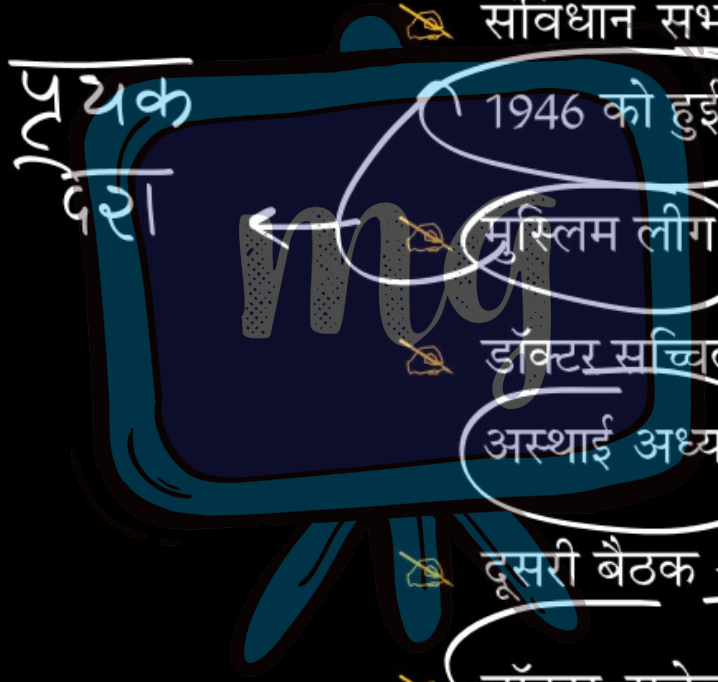
missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

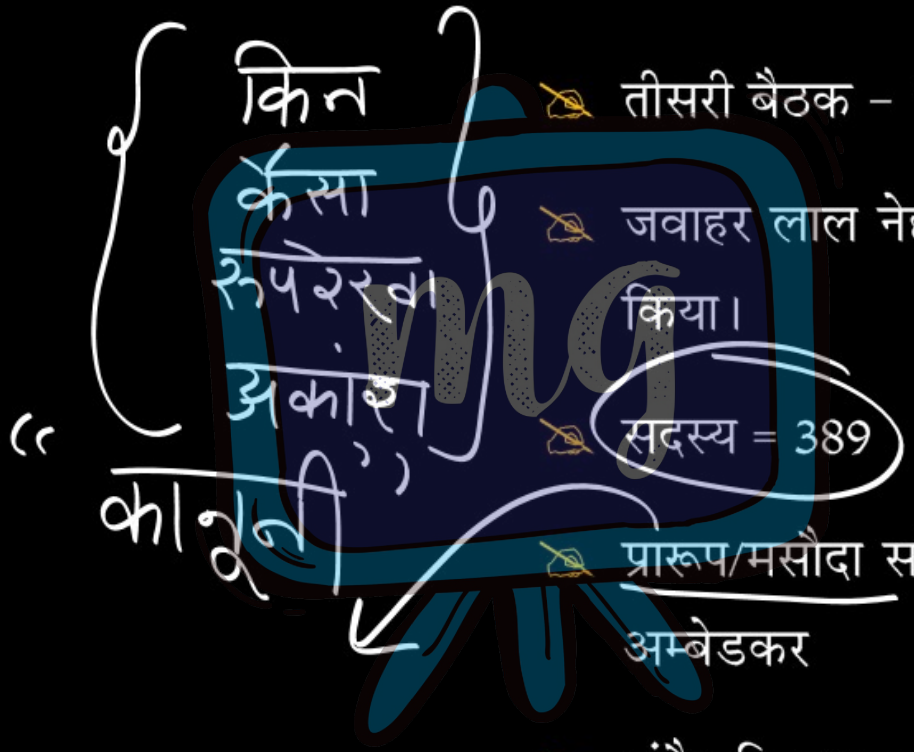
संविधान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य



- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई।
- मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था।
- डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया।
- दूसरी बैठक – 11 दिसम्बर, 1946 को हुई।
- डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष चुना गया।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



- तीसरी बैठक – 13 दिसम्बर, 1946 को हुई।
- जवाहर लाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्तव पेश किया।
- सदस्य = 389
- प्रारूप/मसौदा समिति के अध्यक्ष – बी.आर. अम्बेडकर → 7
- संवैधानिक सलाहकार – बी.एन. राव

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

9 दिसम्बर 1946 – 26 नवं 1949

संविधान दिवस

लियाकत अली

- संविधान को बनने में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा।
- संविधान बनकर पूरा हुआ – 26 नवम्बर, 1949
- संविधान लागू या अधिनियमित किया गया – 26 जनवरी, 1950
- अंतरिम सरकार के प्रमुख थे – जवाहर लाल नेहरू
- मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई – 13 अक्टूबर, 1946

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

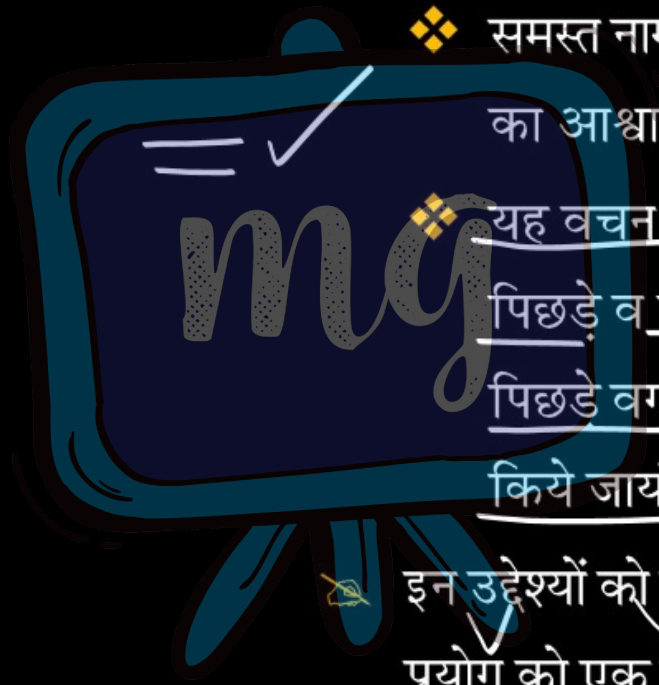
उद्देश्य प्रस्ताव

13 दिसम्बर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में ''उद्देश्य प्रस्ताव'' पेश किया गया।

- इस प्रस्ताव में संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।
- और यह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था।
- उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक ''स्वतंत्र सम्प्रभु गणराज्य'' घोषित किया गया था।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



- समस्त नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था।
- यह वचन दिया गया था कि "अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों एवं दमित व अन्य पिछडे वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किये जायंगे।"
- इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



- जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने भाषण में कहा था कि "हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं है"
- वे किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी।
- वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

389

उनके शब्दों में, भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह 'हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य होनी चाहिए।'

भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक-दूसरे में समावेश किया जाये और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाये।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



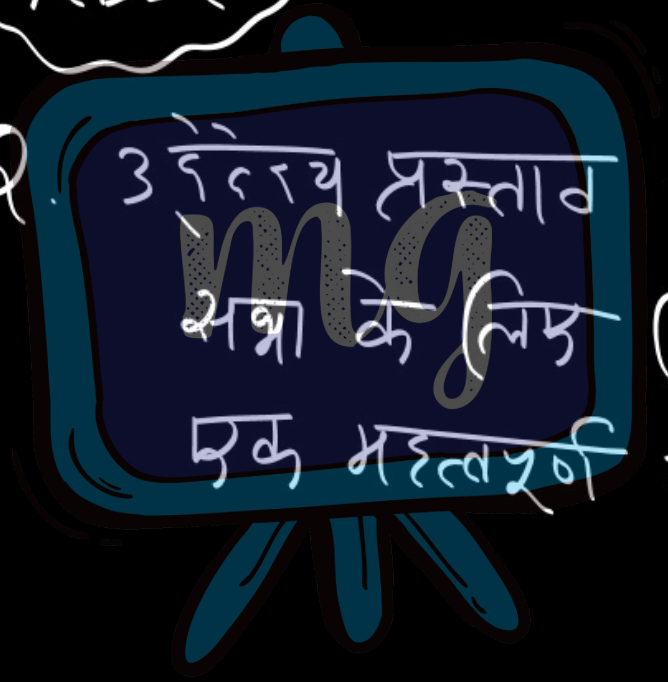
नेहरू जी इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या उचित है – इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए।

समाज
संस्कृति

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

CBSE
RBSE



प्र. उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के लिए किस प्रकार एक महत्वपूर्ण अंग बनता है?

Under CSR Support by ipca | Foundation

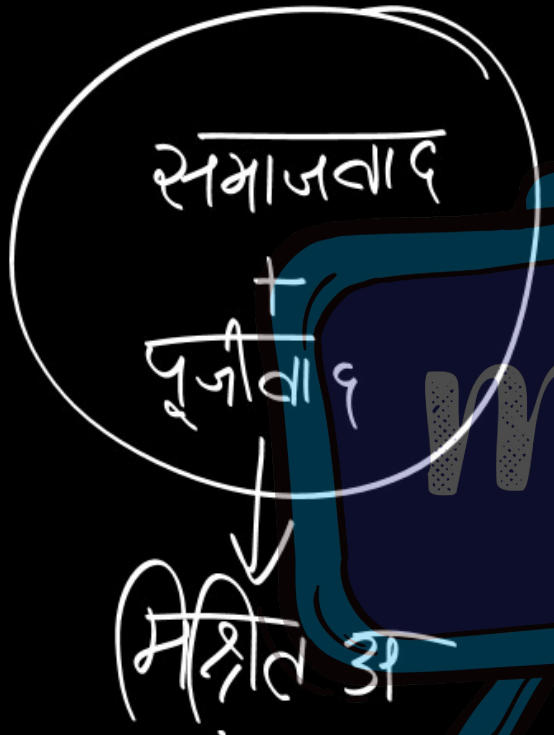
missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

लोगों की इच्छा

पूंजीवाद	समाजवाद
ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें धनिक वर्ग उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर श्रमिकों का शोषण करता है।	समाजवादी व्यवस्था में धन–सम्पत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन होता है।
इस व्यवस्था में सरकार की बाजार को नियंत्रित करने में कोई खास भूमिका नहीं होती है।	समाजवादी निजी सम्पत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



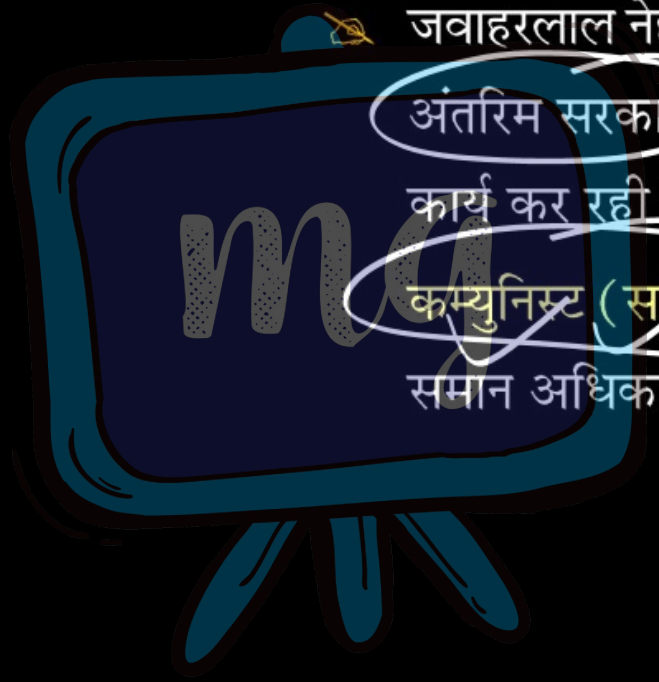
लोगों की इच्छा

संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिडी :-

संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिडी को सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गहरी छाप दिखाई देती थी। क्योंकि 1946-47 ई. की सर्दी में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी उस समय अंग्रेज भारत में ही थे।

Under CSR Support by ipca | Foundation

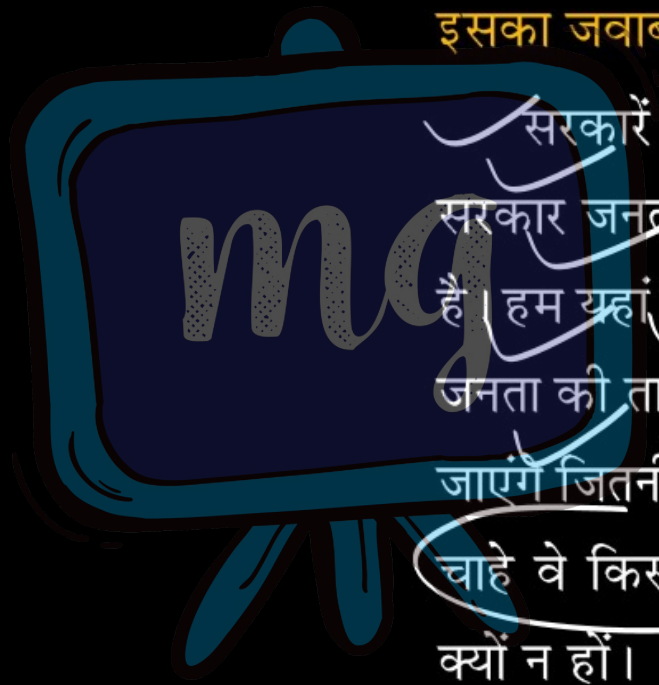
missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



- जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शासन चलाने वाली अंतरिम सरकार भी वायसराय की देखरेख में ही कार्य कर रही थी।
- कम्युनिस्ट (साम्यवाद) :- सब वस्तुओं में सबका समान अधिकार रखने का सिद्धांत।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



इसका जवाब देते हुए नेहरू जी ने कहा था –

सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती। सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम यहां इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर लोग हमें ले जाना चाहेंगे फिर चाहे वे किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों न हों।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था।
- लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श उन्नीसवीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे।
- जब समाज सुधारकों ने बाल-विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया तो वे सामाजिक न्याय की ही अलख जगा रहे थे।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



- जब विवेकानंद ने हिन्दू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई तो वे धर्मों को और ज्यादा न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे।
- जब ज्योतिबा फुले ने दमित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया था। कम्युनिस्टों ओर सोशलिस्टों ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया तो वे आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

बहस

- जैसे-जैसे संविधान सभा में बहस आगे बढ़ी, सदस्यों के सामने अनेक सवाल थे :-
  - नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएं ?
  - क्या उत्पीड़ित समूहों को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए ?
  - अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हो ?
  - वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए ?
- इनमें से किसी भी सवाल का ऐसा उत्तर मौजूद नहीं था जिस पर पूरी सभा सहमत थे।

Under CSR Support by ipca | Foundation

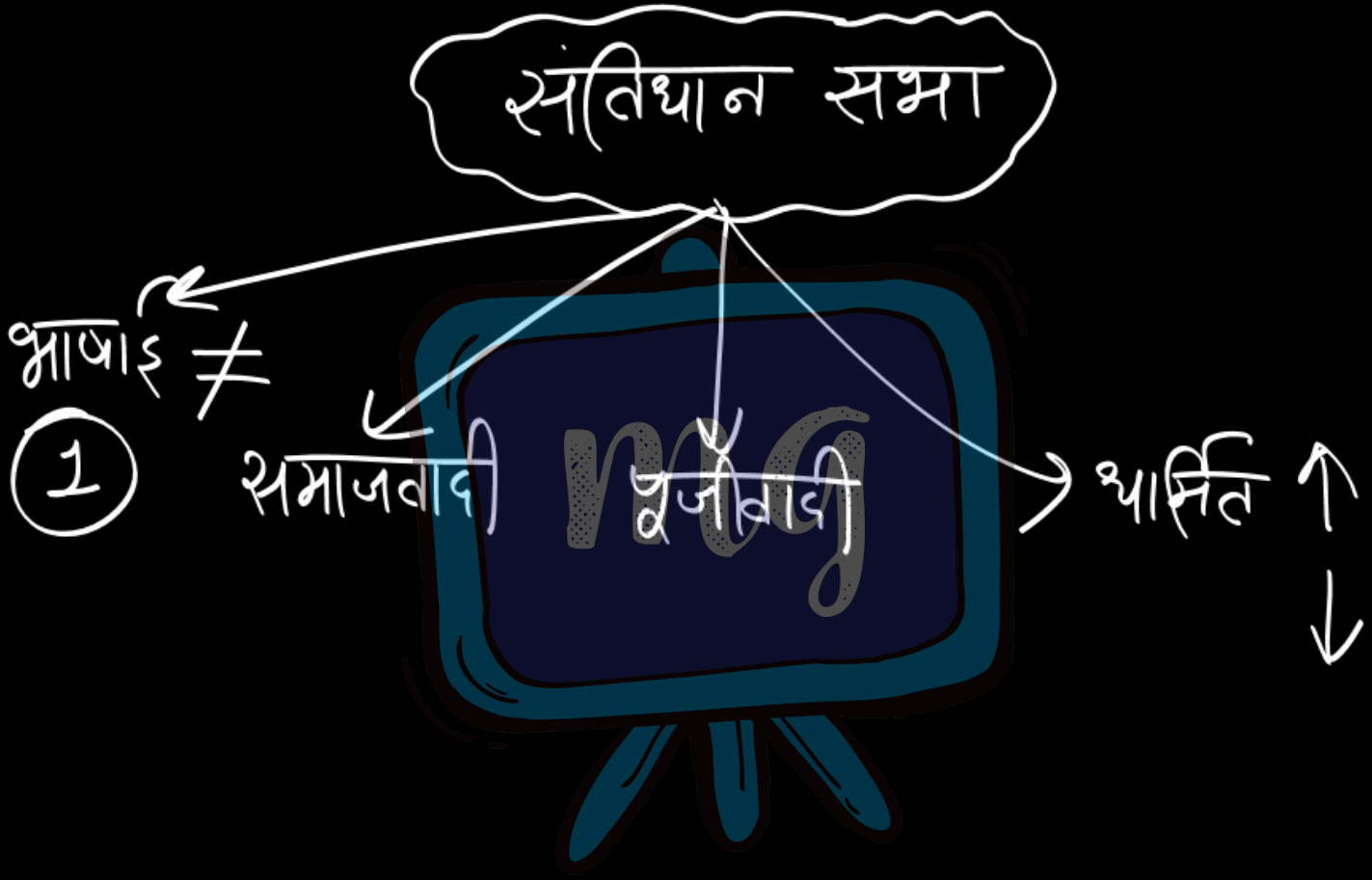
missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



- इन सभी अभिव्यक्तियों (सवालों) पर बहस करना जरूरी था।
- परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुँचना और एक आम सहमति पर पहुँचना जरूरी था।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

अंग्रेज फूट डालो

1909 मॉर्ले मिन्टो

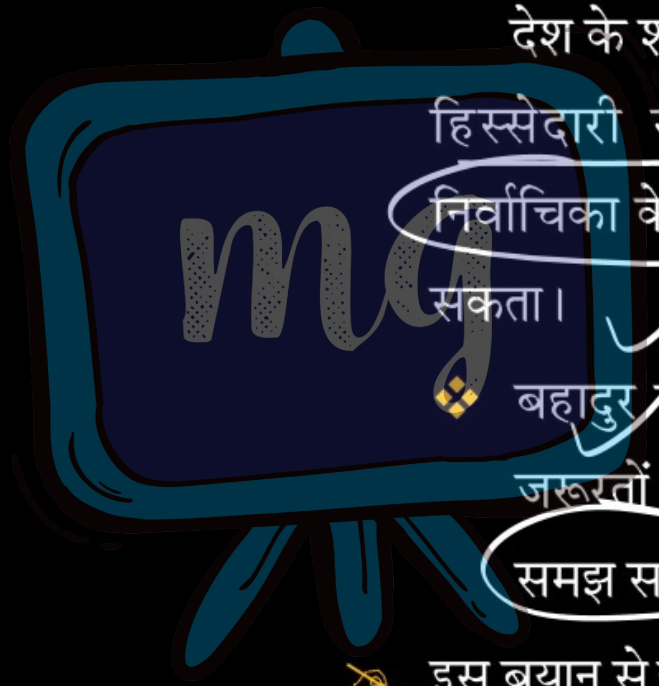
2 पृथक निर्वाचिका की समस्या

मुसलमान नेता	
मुसलमान मतदाता	अन्य मतदाता

चुनाव

मद्रास के बी. पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया :-

अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं : उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। हमें जरूरत है एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज़ सुनी जाये और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाये।



देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता।

- बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की जरूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते।

इस बयान से ज्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। इसके बाद पृथक निर्वाचिका के मुद्दे पर गरमागरम बहस चली इसके खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए।

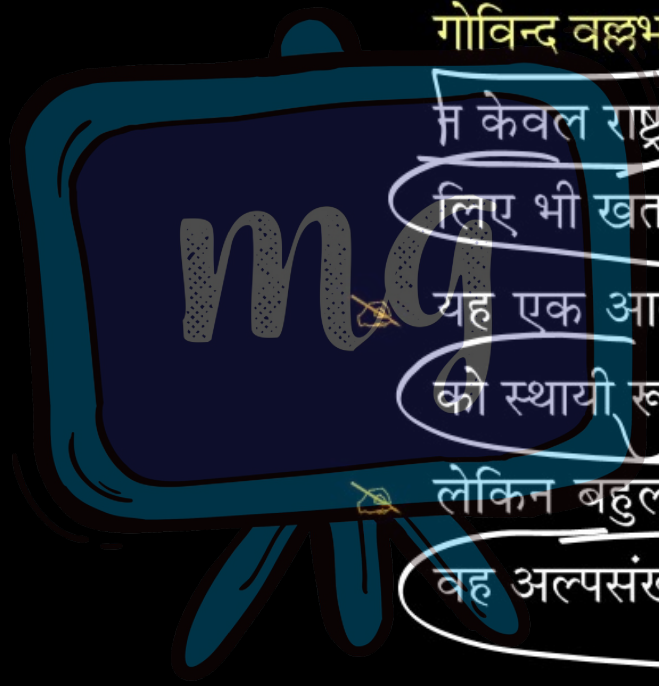


- ज्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी।



सरदार पटेल ने कहा था कि – पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिये, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी।

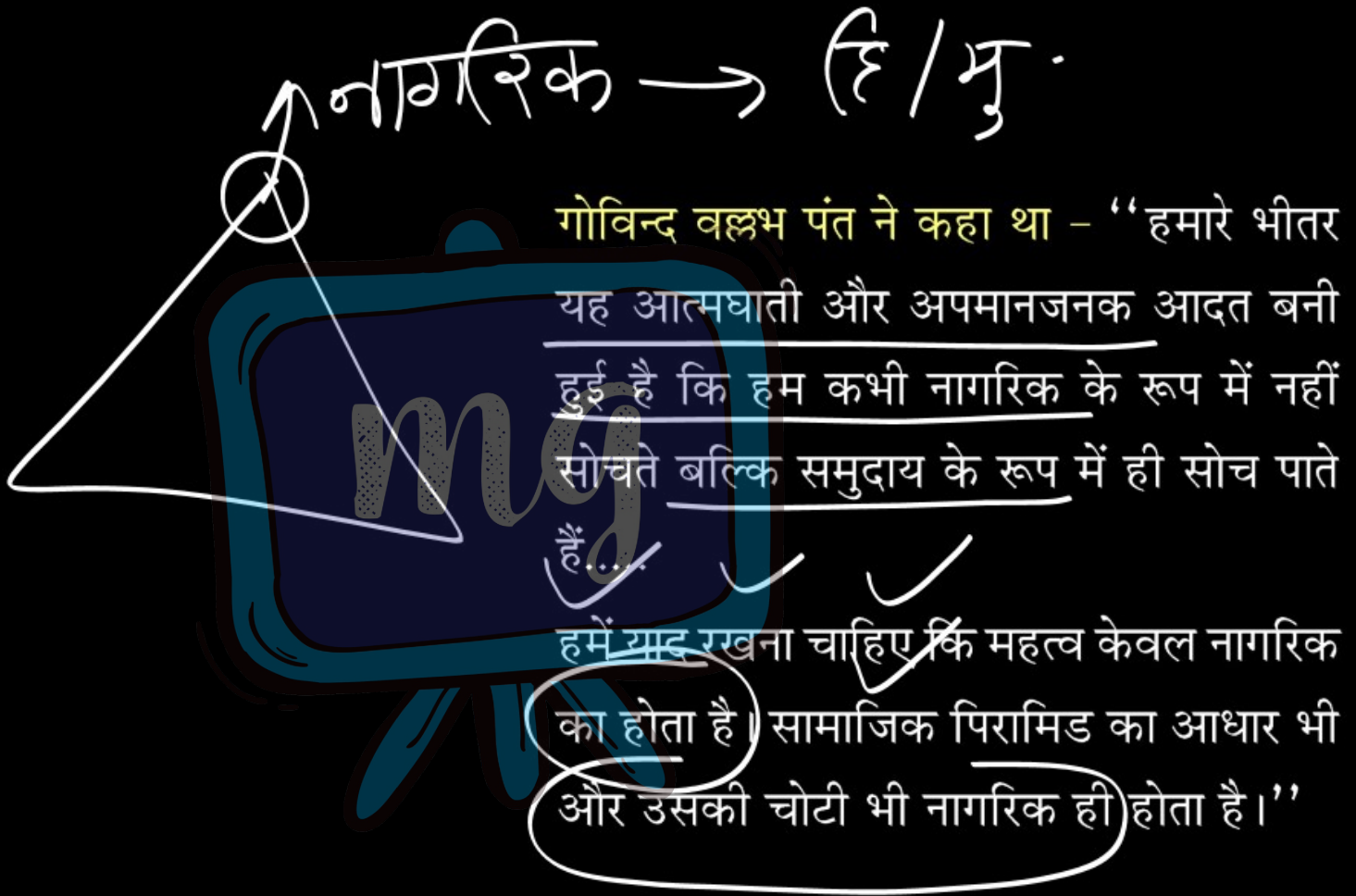
''क्या तुम इस देश में शान्ति चाहते हो ? अगर चाहते हो तो इसे फौरन छोड़ दो।''



गोविन्द वल्लभ पंत – पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है।

यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग-थलग कर देगी।

लेकिन बहुल समुदाय का यह दायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझें।



गोविन्द वल्लभ पंत ने कहा था – ''हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम कभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते बल्कि समुदाय के रूप में ही सोच पाते हैं....

हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है। सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी भी नागरिक ही होता है।''

- इन सारी दलीलों के पीछे एक एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी।
- हर समुदाय को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था।
- सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे। उदाहरण के लिए – बेगम ऐजाज रसूल।
- 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है।

Gyan Shower

अधिकारों का निर्धारण

➢ पृथक निर्वाचिका की समस्या:

❑ पृथक निर्वाचिका: अलग चुनाव प्रणाली

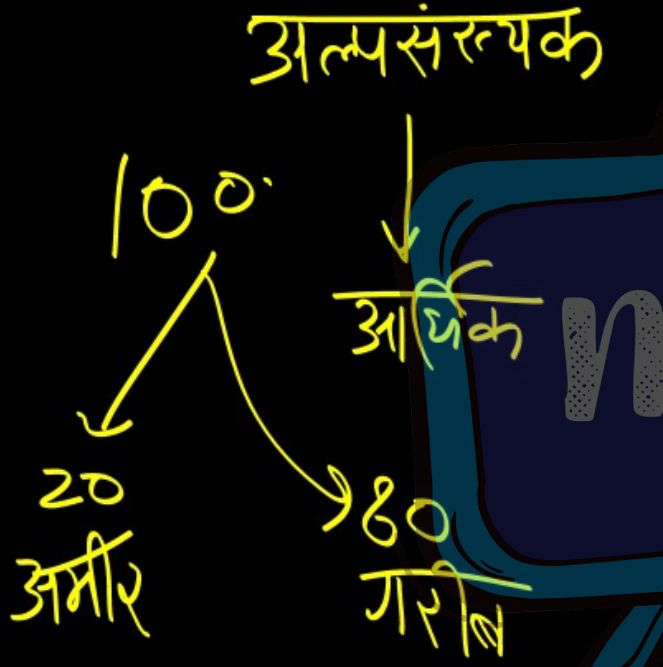
→ अल्पसंख्यकों

पक्ष	विपक्ष
➢ 27 अगस्त 1947: बी. पोकर बहादुर (मद्रास) ❖ अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो	➢ बी. पोकर बहादुर के तर्कों से राष्ट्रवादी भड़क गए ❖ पृथक निर्वाचिका: लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल



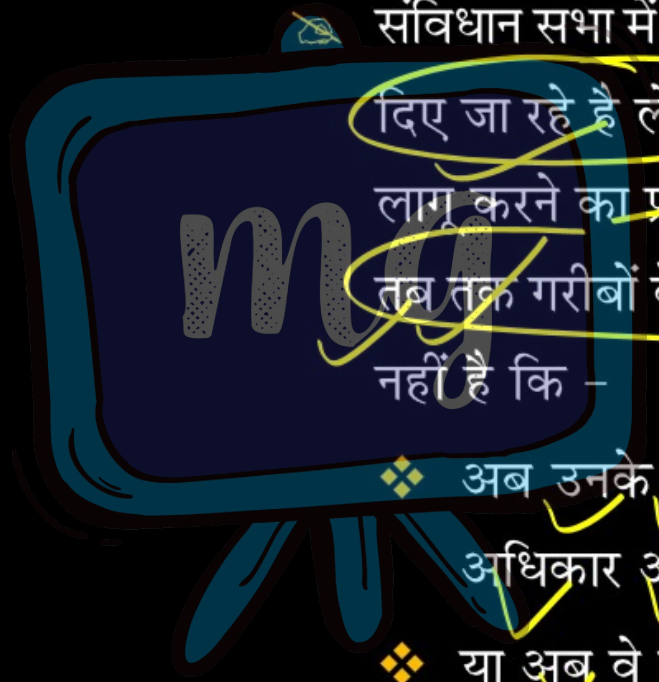


1949 तक: संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया



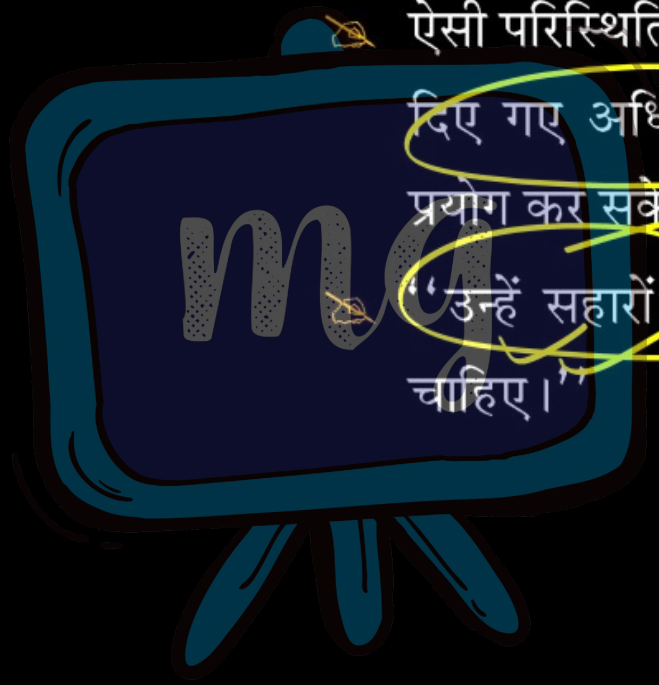
केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है

किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एन.जी. रंगा ने कहा कि - अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे-कुचले लोग थे।



संविधान सभा में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं लेकिन जब तक इन अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि –

- अब उनके पास जीने का, पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है।
- या अब वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं।
- और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रताऐं हैं।



- ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके।
- "उन्हें सहारों की जरूरत है। उन्हें एक सीढ़ी चाहिए।"

① अलग अलग तियारथान

② पृथक निर्वाचन → 1919

